न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 53 / 2020

1. श्री भंवर गजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

..प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीसागंन जिला अजमेर
2. बैंक ऑफ बडोदा शाखा जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

एकपक्षिय कार्यवाही – अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 03.11.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन के आधारभूत जमाबदीं के खाता संख्या 407 नया 367 पुराना के खसरा सख्या 2285, 2286, 2310 कुल किता 3 रकबा 1.54 है. की आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आधार जमाबदीं के सवंत 2063 से 2066 की जमाबदीं कायम करते समय गलत नामान्तकरण संख्या 575 दिनांक 03. 10.2006 अकिंत कर लिपिकीय त्रुटि कारित करते हुए प्रार्थी की उक्त जमाबदीं में अप्रार्थी संख्या 1 के रहन होने का अकंन किया जबकि उक्त नामान्तकरण संख्या 575 प्रार्थी के नाम से भरा गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 से रहन लिया था तथा प्रार्थी द्वारा अन्य आराजी पर लिया गया था उक्त विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा किसी भी बैंक के यहां रहन नहीं किया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी की उक्त आराजी पर उक्त नामान्तकरण संख्या 575 का इन्द्राज कर दिया गया । जिसे दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण को विधिवत तामील हो चुकी है , बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षिय बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम कालेसरा के खसरा सख्या 2285, 2286, 2310 कुल किता 3 रकबा 1.54 है. पर लगे बैंक एस.बी.आई शाखा पीसागंन के यहां रहन का नोट हटाया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:06:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)